

मुख्य समाचार

- प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश- प्रति व्यक्ति आय में 22 हजार 4 सौ 30 रुपये की बढ़ोतरी।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा- भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटेगी सरकार।
- मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का लगाया आरोप।
- उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए धारा-118 में संशोधन की बताई ज़रूरत।

आर्थिक सर्वेक्षण

शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की गैर मौजूदगी में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया। बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10 दशमलव 2 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 2 लाख 32 हजार एक सौ 85 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय विकास दर करीब 7 फीसदी के आस-पास है। वहीं प्रदेश में विकास दर के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता.....

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद और विकास दर में इजाफा हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के 2 लाख 34 हजार 7 सौ 82 रुपए के मुकाबले 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 लाख 57 हजार 2 सौ 12 रुपए तक पहुंच गई है। इस प्रकार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 22 हजार 4 सौ 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 45 दशमलव 3 फीसदी आंका गया है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों का योगदान भी बढ़कर 9 दशमलव 2-4 फीसदी है, जबकि श्रम व इससे जुड़े हुए क्षेत्रों का योगदान 15 दशमलव 2 फीसदी आंका गया है। अर्थव्यवस्था के विकास में पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, परिवहन और हस्तशिल्प क्षेत्रों का योगदान 7 दशमलव 78 फीसदी है। कोविड काल के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था व इससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान लगातार बढ़ रहा है। पर्यटकों की आमद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक व खनन क्षेत्रों का योगदान 86 हजार 6 सौ 95 करोड़ रुपए आंका गया है। सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 40 प्रतिशत अनुमानित है। बिजली, पेयजल व इससे संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 5 दशमलव 6-6 फीसदी आंका गया है। राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्माण क्षेत्र के 7 दशमलव एक फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि चालू वित्त वर्ष में उद्योग व इससे संबंधित क्षेत्रों की विकास दर 9 दशमलव 4 फीसदी रहेगी।

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला.....

मुख्यमंत्री जवाब

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार भविष्य में भ्रष्टाचार के दरवाजों को और सख्ती से बंद करेगी व सभी कार्य पारदर्शिता से किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि भ्रष्टाचार के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रदेश की संपदा को लुटा दिया, लेकिन उनकी सरकार अब राज्य की संपदा को न लुटने देगी और न ही लुटाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने कानूनी प्रावधान होने के बावजूद पीसी एंड एनडीपीएस एक्ट को गंभीरता से लागू नहीं किया। इस कारण प्रदेश में युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में पुलिस ने 25 करोड़ 42 लाख रुपये की ड्रग तस्करी की संपत्ति को अटैच किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी भी चिट्ठे की तस्करी में शामिल पाए गए हैं। इनमें आठ पुलिस कर्मी भी शामिल हैं, जिनमें से दो को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पूर्व भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं को चुनावी वर्ष में एचआरटीसी की बसों में यात्रा पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी, जिससे सरकार को सालाना 7 सौ 30 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने मंदिर न्यासों से सरकारी योजनाओं के लिए पैसा लेने के मुद्दे पर कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 15 करोड़ 70 लाख रुपये केवल मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए ही मंदिरों से ले लिए थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह आरोप भी लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने बजट योजनाओं के लिए भी मंदिरों से पैसा लिया, जबकि हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के डेढ़ लाख सरकारी नौकरियों को खत्म करने के आरोपों को भी गलत करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश की ऋण लेने की सीमा 16 हजार 3 सौ 52 करोड़ रुपये थी जो बीते साल घटकर 12 हजार एक सौ 76 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई है। जीएसटी लागू होने पर प्रदेश को 2022 तक 3 हजार 2 सौ करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर मिलता रहा, जो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में प्रदेश को मिलने वाली 11 हजार 4 सौ 31 करोड़ रुपये की आरडीजी अब घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 3 हजार 2 सौ 57 करोड़ रुपये रह गई है। मुख्यमंत्री ने जल्द ही आईजीएमसी शिमला, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक एमआरआई मशीनें स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने एनपीएस के तहत केंद्र के पास जमा 10 हजार करोड़ रुपये में से पांच हजार करोड़ रुपये पर भी सरकार का दावा जताया।

वाकआउट

प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब के बीच विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया। विपक्ष ने यह वाकआउट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिम केयर योजना के तहत पूर्व भाजपा सरकार द्वारा किए गए खर्च के आंकड़े पेश करने के विरोध में किया। विपक्ष का आरोप था कि मुख्यमंत्री हिम केयर को लेकर गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। विपक्ष ने इस दौरान सरकार को हिम केयर योजना के तहत हुए खर्च की जांच की चुनौती भी दी। धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिम केयर में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस योजना का आडिट करने की घोषणा की और कहा कि आडिट की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते दो सालों में हिम केयर पर 3 सौ 6 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा पूर्व सरकार की देनदारियां भी चुकता की जा रही हैं। इससे पूर्व, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं वह ठीक नहीं है। उन्हें दो साल सत्ता में हो गए हैं और आज बता रहे हैं कि हिमकेयर का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारी गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सारी

सीमाएं तोड़ दी गई हैं और जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। ऐसे में वह वॉकआउट करते हैं।

जयराम

वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री का जवाब तथ्यों से परे है। ऐसे में विपक्ष मुख्यमंत्री का तथ्यहीन जवाब सुनने के लिए बाध्य नहीं है।

प्रश्नकाल

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि भू-अधिनियम की धारा 118 हिमाचल प्रदेश में निवेश के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि जब तक धारा 118 में संशोधन कर इसके प्रावधानों को सरल नहीं किया जाता, तब तक प्रदेश में औद्योगिक विकास को सही अर्थों में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वे आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम चौधरी और जीतराम कटवाल द्वारा पूछे गए संयुक्त सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उद्योग मंत्री ने विपक्ष से धारा 118 के सरलीकरण के मुद्दे पर सरकार का साथ देने की अपील की ताकि प्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए लंबी अवधि की नीति बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि समय-समय पर उद्योग बंद होना एक सामान्य प्रक्रिया है और सरकार किसी भी बंद हुए उद्योग को नहीं चला सकती। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग चलाने के लिए सिर्फ प्रोत्साहन देती है। उन्होंने कहा कि कोई भी उद्योगपति उद्योग बंद होने पर इसकी सूचना सरकार को नहीं देता। उद्योग मंत्री ने कहा कि बीते दो सालों में सिंगल विंडो अथॉरिटी के माध्यम से एक सौ 43 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इनके माध्यम से 8 हजार 3 सौ 80 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इन उद्योगों में 17 हजार 7 सौ 30 लोगों को रोजगार मिलेगा।

धरना-प्रदर्शन

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर और पंचायत चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर आज शिमला में विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से स्थाई नीति बनाने की मांग की। पी.डब्ल्यू.डी. विभाग मल्टी टास्क वर्कर यूनियन के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि विभाग में करीब 4 हजार 8 सौ 32 मल्टी टास्क वर्कर कार्यरत हैं जो हर परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मल्टी टास्क वर्कर को बहुत कम वेतन मिलता है और वो भी समय पर न मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।